ISSN 0972-8309

Journal of National Development

Scientific Journal Impact Factor : 6.281
General Impact Factor : 2.8186; Global Impact Factor : 0.842
NAAS Rating : 3.12; InfoBase Index : 3.00

Chief Editor
Dharam Vir

Volume 35 (Special Issue in Hindi), 2022

CENTRE FOR STUDIES OF NATIONAL DEVELOPMENT
MEERUT-250004 (INDIA)

Scanned with OKEN Scanner

Contents

1. पितृसत्ता एवं मोरल पोलिसिंग .....राजेश कुमार सिंह 1
2. ऑनलाइन शिक्षा एवं किशोरों में सामाजिक समायोजन .....मुनेद्र कुमार एवं मालती 11
3. भारत में समाचार पत्रों का इतिहास .....भारती मोहन 22
4. कोविड-19 महामारी का भारत की शिक्षा पर प्रभाव - एक अध्ययन .....रोली प्रकाश एवं रंगोली चन्द्रा 29
5. अपराधों के नियन्त्रण में पुलिस की भूमिका (शामली जनपद का एक अध्ययन) .....बबली रानी 44
6. आधुनिक भारत में स्त्री सुधार का प्रश्न एवं दादा लेखराज की भूमिका .....वंदना सेमल्टी एवं अंजली 60
7. मुजफ्फरनगर दंगे में सोशल मीडिया की भूमिका .....विपिन कुमार 68
8. गैर-सरकारी संगठनों की कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रति प्रतिक्रिया .....मंजू गोयल 73
9. शराब और आदिवासी दुनिया : एक सांस्कृतिक अध्ययन.....विकास कुमार 81
10. आधुनिक हिन्दी कविता में राष्ट्रीय चेतना .....नीलम गर्ग 88
11. मीराकांत की कहानियों में प्रेम सम्बन्ध .....शिखा एवं नीलम गर्ग 98
12. श्रृंगार व सृजन का प्रतीक कमल पुष्प .....रीतिका गर्ग 106

Scanned with OKEN Scanner

1

पितृसत्ता एवं मोरल पोलिसिंग

राजेश कुमार सिंह*

भारत जैसे धर्म निरपेक्ष और लोकतान्त्रिक देश में जहाँ सभी प्रकार के धर्मों, जातियों और समुदाय के लोगों को अपनी रूचि के अनुसार जीवन जीने की स्वतन्त्रता प्राप्त है, कुछ व्यक्तियों, समूहों और संगठनों द्वारा नियोजित रूप से लोगों को संविधान प्रदत्त इन स्वतन्त्रताओं का उपभोग करने से रोकने का प्रयास करना वास्तव में चिन्ताजनक है। मोरल पोलिसिंग इसी तरह की एक प्रक्रिया है जिसके तहत कुछ अति जागरूक व्यक्तियों या समूहों द्वारा लोगों के ऊपर नैतिकता की एक आचार संहिता लागू करने का प्रयास किया जाता है। यह आचार संहिता भारतीय संस्कृति के अपेक्षाकृत श्रेष्ठ मूल्यों और जीवन–शैली की रक्षा के नाम पर लागू की जाती हैं। इन समूहों द्वारा जाति, लिंग, समुदाय और धर्म के आधार पर युवक–युवतियों के कतिपय व्यवहारों को अनैतिक घोषित कर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। मोरल पोलिसिंग की इस प्रक्रिया में पितृसत्तात्मक समाज की, स्त्री और उसके सार्वजनिक जीवन के व्यवहार को नियन्त्रित करने की परम्परागत प्रवृत्ति के भी लक्षण दिखाई पड़ते हैं। प्रस्तुत शोध आलेख में मोरल पोलिसिंग और इस प्रक्रिया के पितृसत्ता के साथ सम्बन्धों की पड़ताल करने का प्रयास किया गया है।

[**मुख्य शब्द :** मोरल पोलिसिंग, पितृसत्तात्मक समाज]

1. प्रस्तावना

पितृसत्ता सदा से ही विविध प्रत्यक्ष और परोक्ष तरीके से स्त्री को अपने अधीन रखने का प्रयास करती रही है। सार्वजनिक जीवन में एक स्त्री के आचरण को किसी

* सहायक प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)।

Scanned with OKEN Scanner

खास दायरे में बाँधकर परिभाषित किया गया है। स्त्री की यौनिकता को नियन्त्रित करने के तमाम प्रयास पितृसत्ता के संरक्षण में ही पनपते और फलते–फूलते है। हमारे समाज में विविध दक्षिणपंथी संगठन लोगों को धार्मिक आधार पर विभाजित करने में लगे हैं। यह संगठन समाज में मोरल पोलिसिंग के नाम पर लोगों के, खास तौर से स्त्री के, सार्वजनिक जीवन के व्यवहार को नियन्त्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए जोर जबरदस्ती तथा हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। पितृसत्ता द्वारा स्त्री की यौनिकता को नियन्त्रित करने के इस प्रयास को हमारे समाज में विभिन्न स्तरों पर देखा जा सकता है। सार्वजनिक जीवन में घटित होने वाली मोरल पोलिसिंग की इस कार्यवाही को परोक्ष रूप से राजनीतिक स्तर पर भी संरक्षण प्राप्त है। यह हमारे दैनिक जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित क़रने वाली प्रक्रिया है। यह हमारे सार्वजनिक जीवन के विविध गतिविधियों से लेकर हमारे त्योहारों तक को एक खास दृष्टिकोण से प्रभावित और नियन्त्रित करने की कोशिश करती है। इसके लिए दबाव, धमकी, जोर–जबरदस्ती और हिंसा का प्रयोग भी किया जाता है।

हाल के वर्षों में विभिन्न समुदायों के युवक–युवतियों के आपस में मिलने–जुलने, उनके आपस में विवाह को लेकर समाज में संगठित स्तर पर तीव्र विरोध देखने में आया है। हमारी रोज़मर्रा की सामाजिक–सांस्कृतिक दुनिया में इन दक्षिणपंथी संगठनों का अनावश्यक दखल बढ़ा है। मोरल पोलिसिंग के नाम पर ये संगठन सार्वजनिक स्थानों पर युवक–युवतियों के व्यवहारों को नियन्त्रित करने या उनके आचरण को अनैतिक करार देकर उनके प्रति हिंसा का व्यवहार करने तथा उनके माता–पिता और परिवार वालों को धमकाने आदि की कार्यवाही करते रहे हैं। इस तरह की समस्त गतिविधियों का संचालन वह धर्म और संस्कृति के मानदण्डों की रक्षा के नाम पर करते हैं। धर्म के आधार पर परिभाषित एक खास तरह के नैतिक आचरण से किसी भी तरह के विचलन को यह संगठन अपने धर्म और संस्कृति के विरुद्ध आचरण घोषित करके युवक–युवतियों को प्रताड़ित करते हैं। यह कार्य विभिन्न दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा बहुत संगठित और सुनियोजित तरीके से किया जाता है।

इन दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा अपनी हिंसात्मक गतिविधियों के माध्यम से लोगों के संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है। एक स्त्री या पुरुष को अपने सामाजिक और यौन जीवन की प्राथमिकताओं को तय करने और उसके अनुसार जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। यह उनके निजता के अधिकार के अन्तर्गत आता है। किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन के द्वारा इन अधिकारों का हनन उसकी वैयक्तिक स्वतन्त्रता और मौलिक अधिकारों का हनन है। धर्म और संस्कृति की दुहाई देने वाले नैतिकता के ये पहरुए सार्वजनिक जीवन में मोरल पोलिसिंग के नाम पर लोगों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। इसके माध्यम से वे लोगों में दूसरे धर्मों के प्रति घृणा भरने की कोशिश भी कर रहे हैं।

Scanned with OKEN Scanner

इन संगठनों द्वारा नैतिक आचरण के स्वघोषित प्रतिमानों से विचलन की दशा में विचलनकारी व्यक्ति के साथ हिंसात्मक व्यवहार किया जाता है। ये संगठन अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के नाम पर विभिन्न अवसरों और स्थानों पर युवक–युवतियों के साथ हिंसक व्यवहार करते रहे हैं। चाहे वह वैलेंटाइन डे के अवसर पर किसी स्थान पर एकत्रित हुए युवा जोड़ों के साथ हिंसा का मामला हो या फिर किसी होटल या पब में किसी युवक–युवती के एक साथ होने का मामला हो – नैतिकता के इन पहरुओं ने मोरल पोलिसिंग करते हुए हिंसक आचरण को अंजाम दिया है। शासन सत्ता की प्रतिनिधिक संस्थाएँ इन मामलों में एक सन्देहजनक चुप्पी अख्तियार करती रही हैं। इसके अलावा बहुत से मामलों में मोरल पोलिसिंग का यह काम दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में, उनकी मूक सहमति और परोक्ष सहयोग के साथ सम्पन्न किया गया। प्रशासन द्वारा कुछ इस तरह के कार्यक्रम भी चलाये गए जो प्रकारांतर से दक्षिणपंथी संगठनों की इस मोरल पोलिसिंग का समर्थन करते प्रतीत होते हैं।

2. मोरल पोलिसिंग या नैतिक दरोगई से जुड़ी कुछ घटनाएँ

वैसे तो भारतीय पितृसत्तात्मक समाज मोरल पोलिसिंग की घटनाओं से भरा पड़ा है, लेकिन अगर हम पीछे दृष्टि डालें तो नब्बे के दशक में जम्मू कश्मीर के अतिवादी संगठनों द्वारा महिलाओं को चेहरा ढकने को लेकर आदेश जारी करने की घटनाएँ याद आती हैं। इन अतिवादी संगठनों की दृष्टि में महिलाओं को घर के कामों तक खुद को सीमित रखना चाहिए तथा बाहर निकलने पर पूरी तरह से परदे में रहना चाहिए। ऐसा न करने वाली महिलाओं के चेहरे पर एसिड फेंकने की धमकी दी जाती थी। अपने इरादों को अंजाम देने के लिए इन अतिवादी समूहों ने कई बार होटलों, पार्कों, ब्यूटीपार्लरों में महिलाओं पर आक्रमण भी किये। इसी तरह से भारत में जब मिस वर्ल्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो भी इस तरह की मानसिकता के लोगों ने अश्लीलता और नैतिकता के मुद्दे उठाकर इसे रोकने का प्रयास किया था। युवतियों के देर रात तक बाहर रहने, उनके द्वारा कम या तंग कपड़े पहनने तथा उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से पुरुषों के लिए आरक्षित पबों या बारों में जाने को लेकर नैतिकता के स्वघोषित पहरेदारों द्वारा समय–समय पर देश के विभिन्न भागों में हिंसक आचरण किये गए हैं। मोरल पोलिसिंग के तौर तरीके और इनके विस्तृत आयामों को समझने की दृष्टि से इस तरह की कुछ प्रमुख घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है।

2·1 मंगलोर पब काण्ड

मोरल पोलिसिंग की घटनाओं में दक्षिणपंथी संगठनों का पितृसत्तात्मक चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हुआ है। मंगलोर के पब में 24 जनवरी 2009 को घटी घटना इस तथ्य की पुष्टि करती है। पब में चल रही पार्टी में हिस्सा ले रही युवतियों के साथ इन

Scanned with OKEN Scanner

दक्षिणपंथी संगठनों ने दुर्व्यवहार किया, उन्हें मारा–पीटा, भद्दी गालियाँ दीं तथा उनके चेहरे पर कालिख पोती गयी। इस सम्पूर्ण घटना की ज़िम्मेदारी लेते हुए श्री राम सेना के संस्थापक प्रमोद मुथालिक ने घटना को न्यायसंगत और औचित्यपूर्ण ठहराया। उनके अनुसार इन संगठनों का यह आचरण भारतीय समाज के हित में है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि इस सम्पूर्ण घटना में पब से जुड़ी संस्कृति का विरोध नहीं किया जा रहा था, बल्कि उस पब में स्त्रियों के प्रवेश को लेकर विरोध प्रकट किया गया था। पब में पुरुषों द्वारा देर रात गए तक पार्टी करने से दक्षिणपंथी संगठनों को कोई ऐतराज़ नहीं था, बल्कि स्त्रियों द्वारा पुरुषों की भाँति इस तरह की गतिविधि में हिस्सा लेना आपत्तिजनक था। यह पितृसत्तात्मक समाज द्वारा स्त्री के सार्वजनिक जीवन के लिए तय किये गए मर्यादित आचरण के मानदण्डों के प्रतिकूल व्यवहार था। इसे सिर्फ भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए की जा रही मोरल पोलिसिंग के रूप में ही नहीं देखा जाना चाहिए था, बल्कि इसे सार्वजनिक जीवन में एक स्त्री की स्वतन्त्रता और सुरक्षा पर हमले के रूप में भी देखा जाना चाहिए। एक पितृसत्तात्मक समाज स्त्री की यौनिकता को नियन्त्रित करने के लिए जो विविध तरीके अपनाता है, मोरल पोलिसिंग उनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। एक स्त्री को मर्यादित ढंग से जीवन जीने के लिए सार्वजनिक रूप से क्या करना है और क्या नहीं करना है – इसको निर्धारित करने का अधिकार नैतिकता के स्वघोषित ठेकेदारों की तरह आचरण करने वाले इन दक्षिणपंथी संगठनों ले रखा है। एक स्त्री को सार्वजनिक जीवन में कब, कहाँ और किसके साथ उठना, बैठना या घूमना–फिरना है – यह तय करने का पूरा अधिकार उस स्त्री को ही होना चाहिए। यह अधिकार उसे भारतीय संविधान प्रदान करता है। दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा स्त्री की इस स्वतन्त्रता को सीमित करने का प्रयास किया है।

2·2 वैलेंटाइन डे का विरोध

वैलेंटाइन डे के अवसर पर भारत के विभिन्न भागों में मोरल पोलिसिंग के ये पैरोकार खुलकर सामने आ जाते हैं। वर्ष 2010 में अजमेर, अहमदाबाद, नागपुर, चेन्नई में विभिन्न दक्षिणपंथी संगठनों ने मोरल पोलिसिंग करते हुए युवक–युवतियों को विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित किया। वैलेंटाइन डे मनाने के लिए एकत्रित हुए लोगों के साथ दुर्व्यवहार के साथ ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों माल इत्यादि को भी क्षति पहुँचाई गई।[1] यह सिर्फ इस साल घटी कोई नई और अनोखी घटना नहीं है, बल्कि इसके पहले और बाद के बरसों में भी लगातार वेलेंट्राइन डे के अवसर पर तमाम दक्षिणपंथी संगठन नियोजित तरीके से युवक–युवतियों को नैतिकता के उल्लंघन और अशोभनीय आचरण के नाम पर परेशान करते रहे हैं। वैलेंटाइन डे को पश्चिमी सभ्यता से प्रेरित आयोजन करार देकर ये युवाओं को उसे त्योहार या उत्सव की तरह मनाने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर एक दूसरे के साथ देखे जाने वाले युवा जोड़ों को धमकाने

Scanned with OKEN Scanner

से लेकर हिंसा तक का सहारा ले रहे हैं। देश की मोरल पोलिस की तरह कार्य करते हुए दक्षिणपंथी संगठन अश्लीलता फैलाने के आरोप में युवा लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं तथा उन्हें पुलिस को सौंपने और जेल भेजने की धमकी भी दे रहे हैं।

3. सांस्थानिक मोरल पोलिसिंग

भारत में कुछ घटनाएँ ऐसी भी हुई हैं जिसमें पुलिस प्रशासन ने समाज में स्त्रियों के साथ बढ़ती छेड़छाड़ की घटनाओं को नियन्त्रित करने के लिए अलग से कार्यक्रम बनाकर कार्यवाही की जो कि अन्ततः मोरल पोलिसिंग और स्त्रियों के उत्पीड़न के रूप में सामने आई। इस कड़ी में ऑपरेशन मजनूँ या ऑपेरशन रोमियो का नाम गिनाया जा सकता है। स्कूलों, कॉलेजों, पार्क और मॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर लड़कियों, महिलाओं के साथ अशोभनीय व्यवहार और छेड़छाड़ करने वाले शरारती तत्त्वों के विरुद्ध कार्यवाही करने के स्थान पर पुलिस ने इन सार्वजनिक स्थानों पर शान्तिपूर्ण ढंग से समय बिता रहे युवक–युवतियों को न सिर्फ सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, बल्कि उनके साथ हिंसात्मक व्यवहार भी किया। प्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता और यौन उत्पीडन रोकने के नाम पर की जाने वाली इन कार्यवाहियों का परोक्ष उद्देश्य मुख्य रूप से समाज में युवा जोड़ों को सबक सिखाना था। इस तरह की कार्यवाहियों में संचार माध्यमों को शामिल कर पुलिस प्रशासन ने स्वयं को सार्वजनिक नैतिकता का पहरेदार घोषित करने का प्रयास किया। विभिन्न घटनाओं में पुलिस द्वारा युवक–युवतियों को सबके सामने पीटा गया और उनके चेहरे पर कालिख पोतकर उन्हें सड़कों पर घुमाया गया। युवतियों को बालों से पकड़कर घसीटा गया तथा उनके साथ गाली–गलौज की गई।[2]

संस्थानिक मोरल पोलिसिंग और हिंसा के मूल में नैतिक आचरण के सम्बन्ध में इन संस्थाओं की व्यक्तिगत आस्था और विश्वास रहे हैं। वे अपनी इस व्यक्तिगत आस्था को सम्पूर्ण समाज पर आरोपित कर समाज से उसके अनुरूप आचरण की प्रत्याशा रखते हैं। राज्य की सत्ता से इतर कार्य करने वाले गैर–सरकारी संगठन और संस्थाएँ अपनी व्यक्तिनिष्ठ आस्थाओं को सम्पूर्ण समाज पर लागू करने की कोशिश करते हैं। किसी व्यक्ति या समूह को उसके व्यक्तिगत या सार्वजनिक जीवन में किसी खास तरीके से आचरण के लिए बाध्य करना दरअसल उसकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का निषेध करना है। भारतीय संविधान भाग तीन में मौलिक अधिकारों के तहत अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हमें विधि के समक्ष समता और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार देता है।[3] ऐसे में किसी भी सरकारी या गैर–सरकारी संगठन द्वारा किसी भी तरह के नैतिक आचरण को अपनी व्यक्तिनिष्ठ आस्था के आधार पर परिभाषित करते हुए सभी के लिए लागू करना व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का हनन है।

Scanned with OKEN Scanner

विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक स्थानों पर अशालीन आचरण के प्रदर्शन के लिए दण्ड का विधान है। इसके लिए विभिन्न अवसरों पर राज्य की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारियाँ भी की जाती हैं। लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता के प्रदर्शन या अश्लील आचरण को कानून के द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में इस कानून को मौके पर लागू करने गए पुलिस अधिकारी पर ही सब कुछ निर्भर करता है। सरकारी और गैर–सरकारी संगठन ऐसे अवसरों पर अपनी सुविधा और निहित स्वार्थों के आधार पर ही सही और गलत का निर्णय लेते हैं। पुलिस से जुड़े अधिकारी किसी भी युवक–युवती को सार्वजनिक स्थान पर अशालीन व्यवहार के प्रदर्शन के आधार पर गिरफ्तार कर लेते हैं। वह इस कानून को मनमाने तरीके से परिभाषित करते हुए युवा जोड़ों को अनायास ही प्रताड़ित करते हैं। यहीं से मोरल पुलिसिंग की शुरुआत होती है। मुम्बई जैसे अत्याधुनिक महानगर की पुलिस भी नौजवान जोड़ों के साथ कुछ इसी तरह का व्यवहार करती रही है।[4] एक पुलिस अधिकारी एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे दो विपरीत लिंगी युवाओं को भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाने का दोषी करार देते हुए गिरफ्तार करता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में यह अनैतिक आचरण है।

4. मोरल पोलिसिंग की नवीन घटनाएँ

हाल के दिनों में देश के विभिन्न भागों में मोरल पोलिसिंग से जुड़ी घटनाओं की संख्या और प्रकृति से इस समस्या की गम्भीरता का अनुमान लगाया जा सकता है। कर्नाटक में एक महीने के अन्दर मोरल पोलिसिंग से जुड़े ग्यारह मामले प्रकाश में आये। कर्नाटक के तटीय इलाके सूरतकल में 26 सितम्बर को विभिन्न समुदायों से जुड़े मेडिकल के कुछ छात्र–छात्राओं को रोक कर धमकाया गया और उन्हें उत्पीड़ित किया गया। बाद में इस सिलसिले में पुलिस के द्वारा दो दिन बाद बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी की गई, हालाँकि वे उसी दिन जमानत पर छोड़ दिए गए।[5]

कर्नाटक के ही शिमोगा नगर में अल्पसंख्यक समुदाय के दो युवकों को गिरफ्तार किया गया। इन पर आरोप था कि इन्होंने किसी हिन्दू युवक को इसलिए प्रताड़ित किया कि वह युवक स्कूटर से किसी मुस्लिम युवती को बैठाकर शहर में कहीं छोड़ने गया था। यहाँ मामला मात्र इतना था कि अपने काम के लिए देर हो जाने के कारण मुस्लिम युवती ने अपने गाँव के ही किसी हिन्दू युवक को उसे अपनी स्कूटर से छोड़ने के लिए कहा और उस युवक ने उस युवती को उसके कार्यस्थल पर छोड़ दिया। मोरल पोलिसिंग करने वाले लोगों को यह नागवार गुज़रा और उन्होंने उस युवक पर हमला किया।[6]

इण्डियन एक्सप्रेस के में 12 दिसम्बर 2021 को प्रकाशित खबर के मुताबिक मंगलौर की सिटी पुलिस ने मोरल पुलिसिंग की घटना में चार युवकों को गिरफ्तार किया। इन चार युवकों द्वारा बस में उडुपी के लिए सफर कर रहे एक युवक युवती को

Scanned with OKEN Scanner

अलग–अलग धार्मिक समुदायों से ताल्लुक होने के कारण प्रताड़ित किया गया, उनसे उनके आइडेंटिटी कार्ड माँगे गए, उनके साथ जोर जबरदस्ती की गयी और उन्हें बस से उतरने के लिए बाध्य किया गया।[7]

23 दिसम्बर के टाइम्स ऑफ इण्डिया में झारखण्ड के डाल्टनगंज से एक रिपोर्ट प्रकाशित है, जिसमें लेस्लीगंज पुलिस थाने के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के एक युवक को पेड़ से उल्टा लटका दिया गया था। इस युवक का दोष यह था कि वह कर्मा गाँव में एक युवती से मिलने गया था। उसे युवती के परिवार वालों और उसके पड़ोसियों ने पकड़ा और उसे नैतिकता का पाठ पढ़ाने के नाम पर मारा–पीटा और पेड़ से उल्टा लटका दिया।[8]

इसी अखबार की 24 जून को प्रकाशित खबर के मुताबिक कलकत्ता के साल्ट लेक में एक पार्क में बैठे युवक युवती को मोरल पोलिसिंग का सामना करना पड़ा। कलकत्ता के एक बड़े अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ने वाले युवक का कहना है कि वह अपनी दोस्त के साथ साइकिल का एक चक्कर लगाने के बाद पार्क की एक बेंच पर बैठकर अपनी दोस्त से बातचीत कर रहा था कि कुछ आदमियों ने उसे वहाँ से चले जाने को कहा और उसके साथ मार–पीट की। लोगों ने उसके साथ की युवती से भी गाली–गलौज की।[9]

मोरल पोलिसिंग की उपर्युक्त समस्त घटनाओं की विवेचना से एक बात स्पष्ट तौर पर उभर कर सामने आती है कि हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग और ऐसे संगठन है जिनका आधुनिक संस्कृति और जीवन मूल्यों से बहुत गहरा बैर है। सामान्य जीवन में सभ्य और शालीन प्रतीत होने वाले तथा आधुनिक सभ्यता के तमाम साजो–सामान का खुलकर इस्तेमाल करने वाले लोग अपनी सोच में किस कदर कबीलाई मानसिकता से ग्रस्त हैं, देखकर हैरत होती है। इनकी पितृसत्तात्मक सोच स्त्रियों को आज भी घर में कैद रखने की पक्षधर है। सार्वजनिक आमोद–प्रमोद के तमाम स्थलों पर पुरुषों के किसी भी समय निर्बाध विचरण से इन्हें कोई समस्या नहीं है। ये तमाम स्थल – होटल, पब, बार, सिनेमा हाल, माल आदि इनकी दृष्टि में पुरुषों के लिए आरक्षित हैं। इन स्थलों पर अपनी मर्ज़ी से किसी युवक के साथ घूमने वाली युवती इनकी दृष्टि में समाज की संस्कृति और नैतिकता के लिए खतरा है। उसे रोकने और सबक सिखाये जाने की जरूरत है।

मोरल पुलिसिंग की इन घटनाओं के पीछे लोगों की पितृसत्तात्मक सोच के साथ–साथ विभिन्न पीढ़ियों के मध्य दृष्टिकोण में अन्तर भी एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा समाज के दूसरे वर्गों के प्रति वैमनस्य की भावना भी इसके लिए ज़िम्मेदार है। किसी दूसरे समुदाय के युवक को अपने समुदाय की युवती के साथ देखते ही वैमनस्य की यह भावना उभर कर सामने आ जाती है। अपने समुदाय के झूठे गौरव और मान की

Scanned with OKEN Scanner

रक्षा के लिए दूसरे समुदाय के युवक को प्रताड़ित किया जाता है तथा अपने समुदाय की युवती को लांछित और अपमानित करते हुए उसकी स्वतन्त्रता पर पाबन्दी लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त इन दक्षिणपंथी संगठनों के लोगों का आधुनिक पीढ़ी के साथ ईर्ष्या का भाव भी इनकी मोरल पोलिसिंग का एक कारण बनता है। पिछली पीढ़ी के ज्यादातर लोगों को अपनी किशोरावस्था और युवावस्था में विपरीत लिंगी मित्रों के साथ उस तरह से घूमने, बात करने और एक दूसरे के साथ स्वतन्त्र रूप से वक्त बिताने का मौका नहीं मिला था। इस कारण से वे आजकल के युवक–युवतियों के स्वच्छन्द व्यवहार को बहुत आसानी से पचा नहीं पाते। स्वयं को ना मिल सकी स्वतन्त्रता का लाभ वर्तमान पीढ़ी को उठाता कर देख कर वे उनसे ईर्ष्या करते हैं, जो उनके अन्दर तमाम तरह की कुण्ठाओं को जन्म देती है। उनकी यह प्रवृत्ति विभिन्न अवसरों पर मोरल पुलिसिंग के रूप में सामने आती है।

नैतिक दरोगई या मोरल पोलिसिंग सिर्फ युवक–युवतियों के आचरण तक ही नहीं सीमित है, बल्कि सिनेमा, साहित्य, थियेटर, पेंटिंग, साहित्य और हाल में विज्ञापन जगत तक में इसकी धमक को महसूस किया जा रहा है। कला और साहित्य के विभिन्न माध्यम परम्परागत के स्थान पर आधुनिक मूल्यों और जीवन शैली को अभिव्यक्त करते रहे हैं। सार्वजनिक जीवन के लिए नैतिकता के पुरातन मानदण्ड अब कला और साहित्य की दुनिया में स्थान नहीं पाते। इनसे जुड़े लोग भी आधुनिक जीवन शैली के अनुसार जीवन जीते हैं। इसलिए ये लोग भी इन संगठनों के निशाने पर आते रहे हैं। सिनेमा से जुड़े लोग कभी अपने पहनावे को लेकर, कभी किसी पात्र की भूमिका को लेकर या फिर कभी अपने किसी वक्तव्य को लेकर इन दक्षिणपंथी संगठनों की मोरल पोलिसिंग का शिकार होते रहे हैं। आधुनिक या गैर–परम्परागत जीवन मूल्यों को अभिव्यक्त करने वाली पुस्तकों का बहिष्कार और पेंटिंग्स का जलाया जाना भी मोरल पोलिसिंग का ही एक उदाहरण है।

नैतिकता की समस्त परिभाषाएँ देश काल सापेक्ष होती हैं। समाज के विकास के साथ उसके मूल्य और सांस्कृतिक मानदण्डों में भी परिवर्तन होता रहता है। उसके आचार, विचार, आहार और परिधान से जुड़ी परम्पराएँ भी नया आकार ग्रहण करती हैं। किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी खास समय में निवास करने वाले लोग सामान्यतया अपने दैनिक सार्वजनिक जीवन में एक से आचरण का पालन करते हैं। लेकिन, भारत जैसे विविधता पूर्ण संस्कृतियों वाले देश में एक–दूसरे से भिन्न आचरण, व्यवहार का प्रदर्शन सामान्य सी बात है। सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में हुई प्रगति ने समाज में आचरण के आधुनिक प्रतिमान स्थापित किये हैं। सार्वजनिक स्थानों पर हमारे आचरण पहले की अपेक्षा अधिक मुक्त और स्वतन्त्र हुए हैं। विपरीत लिंगी युवाओं के सार्वजनिक स्थानों पर एक–दूसरे के साथ होने और निकटता प्रदर्शित करने वाले

Scanned with OKEN Scanner

आचरण को आधुनिक समाज में वर्जित नहीं माना जाता। ऐसे में किसी भी सरकारी या गैर–सरकारी संगठन के द्वारा स्वयं के मध्ययुगीन विचारों के आधार पर नैतिकता का कोई भी पैमाना निर्धारित करके सभी पर लागू करना शुरू करने पर समाज में मोरल पुलिसिंग की एक नई तरह की समस्या पैदा होगी। शासन सत्ता का सहयोग पाकर और उनका अनुकूल रुख देखकर मध्ययुगीन सोच रखने वाली दक्षिणपंथी संस्थाएँ मोरल पुलिसिंग के अपने एजेण्डे को लागू करने लगती हैं। वर्तमान भारत के विभिन्न शहरों में विगत कुछ सालों से नैतिक दरोगई या मोरल पोलिसिंग की बढ़ रही घटनाएँ दरअसल दक्षिणपंथी संगठनों की इस पितृसत्तात्मक सोच का परिणाम हैं जिसके अनुसार स्त्री को सदैव पुरुष संरक्षण में रहते हुए सार्वजनिक जीवन में बहुत नियन्त्रित और मर्यादित तरीके से आचरण करना चाहिए।

भारतीय समाज में एक स्त्री की यौनिकता और उसके प्रजनन के अधिकार को भी उसके व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्तर पर नियन्त्रित करने का प्रयास किया जाता है। इस कार्य में पितृसत्तात्मक परिवार, समुदाय और राज्य एक दूसरे के साथ सहयोग के आधार पर कार्य करते हैं। ये संस्थाएँ स्त्री को उसके नैसर्गिक अधिकारों से वंचित ही नहीं करतीं, बल्कि उसकी यौनिकता और प्रजनन से जुड़े विविध पक्षों को विभिन्न स्तरों पर नियन्त्रित करती हैं। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर हिंसा और दबाव का सहारा लिया जाता है। अपनी सामुदायिक पहचान को संरक्षित करने के नाम पर पितृसत्तात्मक समाज विभिन्न तरीकों से स्त्रियों के सार्वजनिक जीवन में किये जाने वाले व्यवहारों को नियन्त्रित करने का प्रयास करता है। विभिन्न दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा धर्म, संस्कृति और नैतिकता की रक्षा के लिए मोरल पोलिसिंग के तमाम क्रिया–कलाप इसी के अन्तर्गत आते हैं।

सन्दर्भ-सूची

1. Joshi, Sandeep, "Moral Policing mars Valentine's Day", **The Hindu**, February 15 2015. Retrieved from https://www.thehindu.com/news/national/other-states/moral-policing-mars-valentines-day/article6897271.ece.
2. "Operation Majnu : SHO suspended in wake of outcry over public harassment", **The Indian Express**, December 1, 2011. Retrieved from https://indianexpress.com/article/cities/delhi/operation-majnu-sho-suspended-in-wake-of-outcry-over-public-harassment/
3. ***Constitution of India***,1950. Fundamental Rights, Article 14-15.
4. Khan, Amir, "Section 110 of 1951 Act, moral policing stick Mumbai cops frequently use", **Indian Express**, August 17, 2015. Retrieved from https:// indianexpress. com/article/explained/section-110-of-1951-act-moral-policing-stick-mumbai-cops-frequently-use/

Scanned with OKEN Scanner

5. Sood, Anusha Ravi, "11 cases against Hindus & Muslims in 1 month, Bommai in spotlight over moral policing incidents", (October 19, 2021). Retrieved from https://theprint.in/india/11-cases-against-hindus-muslims-in-1-month-bommai-in-spotlight-over-moral-policing-incidents/751858/
6. Nrupathunga, S. K., "Moral policing : Two from minority community held in Shivamogga", (October 9, 2021). Retrieved from https://www.deccanherald.com/state/karnataka-districts/moral-policing-two-from-minority-community-held-in-shivamogga-1039080.html
7. Express News Service: "Four arrested in Mangaluru in 'moral policing' case", Retrieved from https://www.newindianexpress. com/states/karnataka/2021/dec/12/four-arrested-in-moral-policing-case-2394699.html
8. Ahmed, M. F., "Moral police" hang man upside down from tree, (2021, December 13). Retrieved from https:// timesofindia. indiatimes. com/city/ranchi/moral-police-hang-man-upside-down-fromtree/articleshow/ 884 40 185.cms
9. Ghosh, Dwaipayan & Benerjee, Tamaghna, "Kolkata : Ten alleges moral policing in Salt Lake", (June 24, 2021). Retrieved from https://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/teen-alleges-moral-policing-in-saltlake/articleshow/83791223.cms ★

Scanned with OKEN Scanner